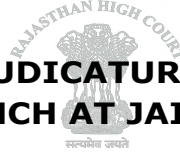




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2213/2021

Gopal Adopted Son Of Late Mohan Lal Sukhadiya, R/o Kumharo
Ka Mohalla, Ward No. 19, Raj Bajar Phulera, Distt. Jaipur.

----Appellant

Versus

Aaftab Ahmed S/o Late Layak Ahmed, R/o Kumharo Ka Mohalla,
Ward No. 19, Phulera, District Jaipur.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Devi Singh Choudhary, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rahul Kamwar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

25/02/2026

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विद्वान अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, सांभर जिला-जयपुर द्वारा उत्तराधिकार प्रार्थना पत्र संख्या 09/2011 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2021 से व्यथित होकर पेश की है जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 383 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (आगे "अधिनियम-1925" कहा जावेगा) स्वीकार करते हुए दिनांक 17.02.2011 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया गया, उसकी पालना में दिनांक 15.03.2011 को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अचल सम्पत्ति के संबंध में जारी किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि "अधिनियम-1925" की धारा 383 के तहत पारित आदेश दिनांक 20.09.2021 तथ्यों व विधि के विपरीत है, अचल सम्पत्ति के संबंध में "अधिनियम-1925" की धारा 372 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।



इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से इस न्यायालय के निर्णय इकबाल बनाम सर्व साधारण 2013 (1) ILR (Raj.) 69 तथा Anandi Vs. Ramji Lal ann Ors. MANU/RH/1674/2022 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि “अधिनियम-1925” की धारा-370 के प्रावधानों के अनुसार सिव्योरिटी व ऋण के लिए ही अर्थात् चल सम्पत्ति के संबंध में ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

वर्तमान मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा “अधिनियम-1925” की धारा-372 के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर अचल सम्पत्ति के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया है, जबकि “अधिनियम-1925” की धारा-370 में यह उल्लेखित है कि ऐसा प्रमाण पत्र ऋण व जमा आदि के संबंध में अर्थात् चल सम्पत्ति के संबंध में ही जारी किया जा सकता है और यही व्यवस्था इस न्यायालय द्वारा इकबाल बनाम सर्व साधारण (पूर्वोक्त) व Anandi Vs. Ramji Lal ann Ors. (Supra) में प्रतिपादित की गयी है। उपरोक्त विधिक व्यवस्था को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से पूर्व में जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को निरस्त (Revoke) किया गया है जो पूर्णतः विधि-सम्मत है। अतः इस स्थिति में इस आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है, परिणामतः अपीलाधीन आदेश पुष्ट होने तथा यह अपील खारिज होने योग्य है।

तदनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2021 की पुष्टि करते हुए यह अपील खारिज की जाती हैं।

विचारण न्यायालय का अभिलेख यदि प्राप्त हो रखा है तो इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J